समक्ष श्रीमान् अध्यक्ष महो0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, भोपाल

रिविजन प्र0क0——/....

1— लाड़सिंह आ0 उर्जन सिंह, आयु वयस्क

2— इमरतलाल आ0 उर्जन सिंह, आयु वयस्क

3— भंवरजी आ0 उर्जन सिंह , आयु वयस्क

4— शंकरबाई बेवा उर्जन सिंह, आयु वयस्क

5— रम्बा पत्नी देवी, आयु वयस्क

6— जितेन आ0 देवी, आयु वयस्क

7— धमेन्द्र आ0 देवी, आयु वयस्क

8— सीमाबाई पुत्री देवी पत्नी अर्जन, आयु वयस्क

9— अवंता बाई बेवा रतनसिंह, आयु वयस्क

10— सुनील, नाबालिग आ0 रतनसिंह
संरक्षक माता श्रीमति अवंताबाई

11— संजू बाई पुत्री रतनसिंह आयु वयस्क

12— पूजा पुत्री रतनसिंह नाबालिक
संरक्षिका माता श्रीमति अवंताबाई

निवासीगण ग्राम मोलाखेड़ी

तह0 इच्छावर, जिला--सीहोर म0प्र0.....रिविजनकर्तागण

विरूद्ध

1— मानूबाई, आयु वयस्क
विधवा भैरोसिंह

2— सौरम बाई, आयु वयस्क
विधवा भैरोसिंह

3— मनीष, आयु अवयस्क
पुत्र स्व0 श्री भैरोसिंह
द्वारा संरक्षिका माता श्रीमति सोरम बाई

4— सुनीता, आयु वयस्क
पुत्री स्व0 श्री भैरोसिंह

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निग/3057/II/15

यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –दो/2015 जिला–सीहोर

~~माधसिंह~~ भारवदि ~~बाबू~~ ल्पदिहि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से श्री संदीप महेश्वरी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक–15.6.16 का अवलोकन किया गया । आदेश दिनांक–15.6.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदकों एवं अनावेदकों के मध्य भूमि के नामांतरण के संबंध में प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रचलित रहा जहां से प्रकरण में आदेश पारित होने पर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ~~गई~~ जहां प्रकरण को प्रथमतः धारा 5 पर सुना गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कर धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष के आधार पर निराकरण करने लिए अंतिम तक हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया । अनुविभागीय के द्वारा जारी आदेश दिनांक–15.6.15 से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित प्रभावित ~~हुई~~ हो ऐसा वर्तमान में ~~ऐसी कोई संभावना~~ नहीं कहा जा सकता है । उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है । उपरोक्त वर्णित स्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाता है तथा उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अंतिम तर्क के समय रखें । अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत संबैधानिक निर्णय पारित करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । उभययपक्ष सूचित हों । सदस्य	
ऐसी कोई संभावना निरस्त		